



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धारव, B.A.S.  
कारण संख्या 241/2018  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956  
उपघान

श्री. अ. अ. अ. अ. अ.

श्री. अ. अ. अ. अ. अ.  
बनाम

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

श्री. अ. अ. अ. अ. अ.

श्री. अ. अ. अ. अ. अ.  
बनाम

- विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री. अ. अ. अ. अ. अ.  
श्री. अ. अ. अ. अ. अ.

निर्णय

दिनांक 6/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 241/899 खसरा 0-16, 655 खसरा 0-16, 657/746 खसरा 0-05

कुल किता 4 रकबा 1-1-1 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम 2041 से 2044 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा 2041 में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 1-1-1 रकबा 1-1-1 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। प्रार्थी/प्रार्थीगण को फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



के. आर. धारव  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लेकटर

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि पक्षकारान की मौजूदगी में निम्नानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

के. आर. धारव  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लेकटर